न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.:— 101/2023

1. मोहम्मद सरवरशाह पुत्र सजवारशाह जाति मुसलमान निवासी डिंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. करतारकौर पत्नी माछीराम जाति बावरी निवासी डींगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री मदन लाल पारीक	—— प्रार्थी
2.	श्री जगराज सिंह भारी	—— अप्रार्थी संख्या 1
3.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	—— अप्रार्थी संख्या 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 29/07/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पता उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है। प्रार्थी मोहम्मद सरवरशाह के नाम से चक 19 पीबीएन—ए के प.नं. 13/321 (16) के किला नं. 20, 21, 22 की 0.759 हैक्ट. नहरी व पं.न. 13/326 (41) किला नं. 5/1 ता 8 की 1.012 हैक्ट. नहरी मय गै.मु.खाला कुल 1.771 हैक्ट. नहरी मय गै.मु.खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 19 पीबीएन—ए संवत् 2076 से 2079 व नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थिया सं. 1 करतार कौर के नाम से चक 19 पीबीएन—ए के प. न. 13/326 (41) किला नं. 9 ता 18 की 2.530 हैक्ट. नहरी मय गै.मु. खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 19 पीबीएन—ए संवत् 2076 से 2079 व नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की भूमि प.न. 13/326 व अप्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में चिपते ही प.नं. 12/326 किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उत्तर से दक्षिण प्रत्येक में 0.025 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत व चालू है।

प्रार्थी अपनी भूमि प.न. 13/326 की 1.012 हैक्ट. भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित इस स्वीकृत रास्ता के उत्तर दिशा से किला नं. 5, 6 से होकर अप्रार्थिया की भूमि प.न. 13/326 किला नं. 10, 9 के उत्तर दिशा में प्रत्येक में 0.019 हैक्ट. रास्ता की भूमि में से होकर अपनी भूमि के प.न. 13/326 के किला नं. 8 में पहुंचती है।

प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित प्रस्तावित रास्ता प.न. 13/326 किला नं. 9 व 10 के अलावा प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को असुविधा होती है तथा अप्रार्थिया समय—समय पर बाधा उत्पन्न करती है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने व कृषि औजार लाने व ले जाने में कठिनाई हो रही है। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। इस रास्ता के बदले प्रार्थी अप्रार्थिया को डी.एल.सी दर पर राशि अदा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:44 IST
Reason: Self Attested

करने के लिए तैयार. है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 19 पीबीएन–ए के प.न. 13/326 (41) किला नं. 9 व 10 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक में 0.019 हैक्ट. कुल 0.038 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर निम्न प्रकार से है कि:– प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधित है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये मुझ अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 19 पीबीएन–ए के प.नं. 13/326 किला नं. 9, 10 में आने जाने के कथन मिथ्या अंकित किये है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 की उक्त कृषि भूमि मे कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है व ना ही वर्तमान में चालू है व ना ही प्रार्थी मुझ अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि मे से होकर अपनी भूमि में आना जाना करता है। प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 19 पीबीएन–ए के प.नं. 13/326 (41) किला नं. 5/1 ता 8 की 1.012 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये चक 19 पीबीएन–ए के प.नं. 13/326 किला नं. 1 ता 4 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता जो कि भगवान सिंह पुत्र अमर सिंह जाति बावरी साकिन डींगवाला के नाम दर्ज है में से होता हुआ अपनी कृषि भूमि के किला नं. 5/1 में प्रवेश करता है। आज तक प्रार्थी इसी रास्ता से अपनी कृषि भूमि मे आना जाना कर रहा है व कृषि कार्य हेतू भी इसी रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी अपने पूर्व में चालू रास्ता को जिसका कि वह उपयोग उपभोग कर रहा है को स्वीकृत करवाने के लिये बाध्य है। चालू रास्ता के अलावा नया रास्ता प्रार्थी स्वीकृत नही करवा सकता है। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में प.नं. 13/326 के किला नं. 1 ता 4 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा चल रहा रास्ता का कही भी वर्णन नही किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी शुरू से ही काबिल खारिज के है। प्रमाणित प्रति नकल जमाबंदी बहक भगवान सिंह चक 19 पीबीएन–ए प.नं. 13/326 किला नं. 1 ता 4 व असल फोटो चालू रास्ता किला नं. 1 ता 4 बजानिब उत्तर दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा सलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है ।

प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 19 पीबीएन–ए के प.नं. 13/326 (41) किला नं. 5/1 ता 8 की 1.012 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये चक 19 पीबीएन–ए के प.नं. 13/326 किला नं. 1 ता 4 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता जो कि भगवान सिंह पुत्र अमर सिंह जाति बावरी साकिन डींगवाला के नाम दर्ज है में से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के किला नं. 5/1 में प्रवेश करता है। आज तक प्रार्थी इसी रास्ता से अपनी कृषि भूमि मे आना जाना कर रहा है व कृषि कार्य हेतू भी इसी रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी अपने पूर्व में चालू रास्ता को जिसका कि वह उपयोग उपभोग कर रहा है को स्वीकृत करवाने के लिये बाध्य है। चालू रास्ता के अलावा नया रास्ता प्रार्थी स्वीकृत नही करवा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2023/12 दिनांक 19.09.23 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार 13/326 (46) कि.न. 9, 10 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक में 0.019 है. रास्ता मौके पर चालू नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त कोई, स्वीकृत रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार कि.न. 9, 10 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता चाहा गया है। मौका निरीक्षण में कि.न. 10 के दक्षिण दिशा में लगभग 5–6 फुट व कि.न. 9 में लगभग दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 150 फीट लम्बा 5–6 फीट चौड़ा घरेलू रास्ता चल रहा है जो कि.न. 12 में बने कमरे तक जाने के लिये है व उसमें कि.न. 9 व 12 की सींव में एक समाधि स्वरूप चबूतरा बना हुआ है। अन्य कोई कम दूरी का स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी व भु.अभि.निरीक्षक के साथ हमने मौका निरिक्षण किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार बताया गया चालू रास्ता से एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का वैकल्पिक रास्ता मौका पर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चल रहा है जो चक 19 पीबीएन–बी के प.न. 13/326 मु.न. 41 किला नं. 9 व 10 के दक्षिण दिशा में प्रत्येक में 0.019 हैक्ट. कुल 0.038 हैक्ट. घरेलू रास्ता चल रहा है जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में सहमति व्यक्ति की गई एवम् तहसीलदार रिपोर्ट पर सहमति के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत कम दूरी का सुविधाजनक रास्ता है जो मौका पर चालू है को स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन एवं मौका निरीक्षण के बाद जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार बताया गया चालू रास्ता अधिक दूरी का व प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का वैकल्पिक रास्ता मौका पर कि.न. 9 व 10 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 150 फीट लम्बा, 5–6 फीट चौड़ा घरेलू रास्ता चल रहा है तहसीलदार रिपोर्ट पर सहमति के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उस रास्ते को प्रार्थी के किला नं. 8 तक स्वीकृत करने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिससे प्रकरण में **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत कम दूरी का सुविधाजनक रास्ता बनता है जिसे स्वीकार किया जाना उचित है अतः तहसील पीलीबंगा के चक 19 पीबीएन–ए के प.न. 13/326 मु.न. 41 किला नं. 9/0.019 व 10/0.019 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक में 0.019 हैक्ट. कुल 0.038 हैक्ट. चालू रास्ता को समाधि स्वरूप चबुतरे के साथ साथ प्रार्थी के किला नं. 8 तक स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की कुल 0.038 हैक्ट. भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।**

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि [illegible] नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमा[illegible]द तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज़ दिनांक 29/07/24 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा